न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 187/2025

1. नरेन्द्र पुत्र सत्यप्रकाश,
2. विकास पुत्र सत्यप्रकाश,
   निवासी हेतमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट

———

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 15.05.2025 बअदालत नायब तहसीलदार मण्डावा उनवानी मु0 राज0 सरकार बनाम नरेन्द्र वगैरह अ0धारा 91 एल0आर0 एक्ट मु0न0 22/2023

———

उपस्थित :–

1. श्री संजीव कुमार सिंघल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 17.11.2025

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, मण्डावा के आदेश दिनांक 15.05.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत का आदेश विरूद्व कानून, न्याय व पत्रावली है। पटवारी हल्का हेतमसर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की कि ग्राम हेतमसर के भूमि ख0न0 361 रकबा 0.1200 हैटर किस्म गैर मु0 रास्ता मे से 0.0016 हैक्टर पर अपीलान्ट द्वारा निर्माण कार्य टीनशेड लगाकर अतिक्रमण किया है जिसके आधार पर बिना कोई जांच किए पटवारी की बात पर विश्वास कर धारा 91 एल0आर0 एक्ट की कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है। पटवारी हल्का ने यह भी अंकित नही किया है कि गै0मु0 रास्ता कहां से कहां तक जाता है और न ही नजरी नक्शा बनाया गया है। इस प्रकार कार्यालय मे बैठकर किसी के कहने पर रिपोर्ट तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दी। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत व अन्य दस्तावेजात् प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है और न ही इस संबंध मे अदालत मातहत के समक्ष किसी स्वतंत्र गवाहान या पटवारी हल्का के बयान दर्ज किए गये है जिससे रिपोर्ट साबित हो सके। अपीलान्ट के द्वारा न तो किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है और न ही निर्माण कार्य रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। अदालत मातहत ने गलत व राजनैतिक भावना से कार्यवाही की है। अपीलान्ट्स का खेत खसरा नं0 362 है और गै0मु0 रास्ता ख0न0 361 है जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार, मण्डावा का आदेश दिनांक 15.05.2025 को निरस्त किए जाने की कृपा करे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि पटवारी हल्का हेतमसर द्वारा इस आशय की

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रिपोर्ट की कि ग्राम हेतमसर के भूमि ख0न0 361 रकबा 0.1200 हैटर किस्म गैर मु0 रास्ता मे से 0.0016 हैक्टर पर अपीलान्ट द्वारा निर्माण कार्य टीनशेड लगाकर अतिक्रमण किया है जिसके आधार पर बिना कोई जांच किए पटवारी की बात पर विश्वास कर धारा 91 एल0आर0 एक्ट की कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है। पटवारी हल्का ने यह भी अंकित नही किया है कि गै0मु0 रास्ता कहां से कहां तक जाता है और न ही नजरी नक्शा बनाया गया है। इस प्रकार कार्यालय मे बैठकर किसी के कहने पर रिपोर्ट तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दी। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत व अन्य दस्तावेजात् प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है और न ही इस संबंध मे अदालत मातहत के समक्ष किसी स्वतंत्र गवाहान या पटवारी हल्का के बयान दर्ज किए गये है जिससे रिपोर्ट साबित हो सके। अपीलान्ट के द्वारा न तो किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है और न ही निर्माण कार्य रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। अदालत मातहत ने गलत व राजनैतिक भावना से कार्यवाही की है। अपीलान्ट्स का खेत खसरा नं0 362 है और गै0मु0 रास्ता ख0न0 361 है जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट छपी–छपाई है। मौका नक्शा रिपोर्ट के साथ पेश नही किया गया है। मौके पर पगडण्डी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार, मण्डावा का आदेश दिनांक 15.05.2025 को निरस्त किए जाने की कृपा करे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट को अदालत मातहत मे समुचित रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि ख0न0 361 रकबा 0.1200 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.0016 है0 पर टीनशेड बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम हेतमसर स्थित सरकारी भूमि ख0न0 361 रकबा 0.1200 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.0016 है0 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि ख0न0 361 से सटती हुई भूमि ख0नं0 362 अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है। अपीलान्ट ने स्वयं की खातेदारी भूमि पर ही टीनशेड बनाया है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट के कथन आंशिक रूप से उचित प्रतीत होते है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 15.05.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि ग्राम हेतमसर स्थित सरकारी भूमि ख0न0 361 व अपीलान्ट की खातेदारी भूमि ख0न0 362 की नपती की जाकर यदि अपीलान्ट का सरकारी भूमि ख0न0 361 मे अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटा दिया जावे। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं